बिहार सरकार
वाणिज्य—कर विभाग

पत्रांक—6 / गो0अभ्यु0—31—01 / 2020 1881 पटना, दिनांकः— 30/04/25

प्रेषक,

रणजीत कुमार (बि0प्र0से0),
विशेष कार्य पदाधिकारी,
वाणिज्य—कर विभाग,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी राज्य—कर विशेष आयुक्त,
सभी राज्य—कर अपर आयुक्त (प्रशासन / अंकेक्षण / अपील / वसूली कोषांग / मुख्यालय)
सभी अंचल प्रभारी

विषयः— बिहार वित्त सेवा के पदाधिकारियों का वर्ष 2024—25 के लिए वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु समय सीमा निर्धारण किए जाने के संबंध में।

प्रसंगः— विभागीय पत्रांक 394 दिनांक 11.02.21 एवं सामान्य प्रशासन का पत्रांक 8160 दिनांक 22.05.2024

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि बिहार वित्त सेवा के पदाधिकारियों का वर्ष 2024—25 के लिए कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के अभिलेखन की समय सीमा निम्नवत निर्धारित किया जाता हैः—

गतिविधि	निर्धारित समय सीमा
प्रतिवेदित पदाधिकारी द्वारा स्वमूल्यांकन (Self Appraisal) को भरकर प्रतिवेदक पदाधिकारी को Online Forward किए जाने की अंतिम तिथि	31 मई 2025
प्रतिवेदक पदाधिकारी द्वारा पी0ए0आर0 पर अपना मंतव्य अंकित कर समीक्षी पदाधिकारी को Online Forward किए जाने की अंतिम तिथि	30 जून 2025
समीक्षी पदाधिकारी द्वारा पी0ए0आर0 पर अपना मंतव्य अंकित कर स्वीकरण पदाधिकारी को Online Forward किए जाने की अंतिम तिथि	31 जुलाई 2025
स्वीकरण पदाधिकारी द्वारा पी0ए0आर0 पर अपना मंतव्य अंकित कर PAR Custodian को Online Forward किए जाने की अंतिम तिथि	31 अगस्त 2025

अतः अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ कार्यरत सभी संबंधित पदाधिकारियों को इस आशय की सूचना से अवगत कराने की कृपा की जाय।

2. वैसे पदाधिकारी जो अपने अधीनस्थों का कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन ससमय अभिलेखित नही करेंगे उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ की जाएगी।

3. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

29/4/25

विशेष कार्य पदाधिकारी,
वाणिज्य—कर विभाग,
बिहार, पटना।